बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संचिका संख्या :15/औ०–01–06/2025 –.............. पटना/दिनांक –

अधिसूचना

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या – 09/2022 के अन्तर्गत औषधि निरीक्षक के पद हेतु अनुशंसित उम्मीदवार श्री कन्हैया किशोर सिंह को विभागीय अधिसूचना संख्या – 612(15), दिनांक–12.08.2024 द्वारा औषधि निरीक्षक के पद पर नियुक्त करते हुए औषधि निरीक्षक, पश्चिमी चम्पारण–04 के पद पर पदस्थापन हेतु अधिसूचित किया गया।

2. उल्लेखनीय है कि श्री कन्हैया किशोर सिंह, औषधि निरीक्षक, पश्चिम चम्पारण–04 के पद पर योगदान करने के पूर्व राज्य सरकार में हीं कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह (कारा) विभाग के अन्तर्गत मिश्रक के पद पर मंडल कारा, बाँका में पदस्थापित/कार्यरत थे।

3. विज्ञापन संख्या – 09/2022 के अन्तर्गत औषधि निरीक्षक के पद पर चयनोपरांत श्री सिंह द्वारा अपने पूर्व पद (मिश्रक) के परित्याग हेतु अपने पैतृक विभाग कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह (कारा) को त्याग पत्र समर्पित किया गया था। श्री सिंह द्वारा समर्पित त्याग पत्र को कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा) के आदेश ज्ञापांक– 444, दिनांक–15.01.2025 द्वारा स्वीकृत किया गया।

4. उक्त आदेश ज्ञापांक – 444, दिनांक – 15.01.2025 में उल्लेखित किया गया है कि श्री कन्हैया किशोर सिंह द्वारा शहीद खुदीराम बोस, केन्द्रीय कारा मुजफ्फरपुर में पदस्थापन के दौरान उन्हें आवंटित कार्यों के निष्पादन में लापरवाही बरतने तथा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही का संचालन किया गया था। संचालित विभागीय कार्यवाही को निष्पादित करते हुए आदेश ज्ञापांक – 9460, दिनांक – 22.11.2024 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध निम्नवत् दंड/शास्ति अधिरोपित/संसूचित करने की कार्रवाई की गयी –

(क) निन्दन

(ख) दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड।

Desktop/Drug -1

5. श्री सिंह द्वारा समर्पित त्याग–पत्र के आलोक में कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा) द्वारा त्याग–पत्र स्वीकृति के क्रम में उक्त अधिरोपित दण्ड/शास्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श की अपेक्षा की गयी थी। तदालोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निम्नवत् परामर्श दिया गया है : –

" अगर प्रशासी विभाग त्याग–पत्र स्वीकृत करता है तो अधिरोपित दंड का शेष भाग कर्मी द्वारा अपने नये कर्त्तव्य के अधीन पूरा किया जाना होगा। क्योंकि दोनों परिस्थिति में नियोक्ता (Employer) एक ही है। "

6. सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त उपर्युक्त परामर्श को श्री सिंह के नये कर्त्तव्य के अधीन लागू करने हेतु विधि पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग से मंतव्य की अपेक्षी गयी थी, जिसके आलोक में उनके द्वारा निम्नवत् मंतव्य प्रदान किया गया है –

" इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि श्री कन्हैया किशोर सिंह की पूर्व सेवा एवं वर्त्तमान की सेवा का नियोक्ता एक ही है। इसलिए सामान्य प्रशासन के द्वारा दिए गए परामर्श के आलोक में कार्रवाई की जा सकती है ''

7. उपर्युक्त परामर्श के आलोक में श्री कन्हैया किशोर सिंह, नवनियुक्त औषधि निरीक्षक, पश्चिमी चम्पारण–04 के विरूद्ध उनके पूर्व की सेवा के अन्तर्गत अधिरोपित दंड/शास्ति, (क) निन्दन (ख) दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड, को प्रभावी करने के प्रस्ताव पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

8. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आदेश ज्ञापांक – 9460, दिनांक – 22.11.2024 द्वारा अधिरोपित दण्ड/शास्ति, (क) निन्दन (ख) दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड, को श्री सिंह के वर्त्तमान कर्त्तव्य के अधीन पूर्ण करने का निर्णय लिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(कृष्णा उराँव)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक – **15/औ०–01–06/2025–**733(15) **पटना, दिनांक –** 18/06/2025

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

Desktop/Drug -1

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी/सिविल सर्जन, पश्चिमी चंपारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप औषधि नियंत्रक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/सहायक औषधि नियंत्रक, पश्चिमी चंपारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री कन्हैया किशोर सिंह, औषधि निरीक्षक, पश्चिम चम्पारण–04 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/06/2025

सरकार के उप सचिव।